कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही

सी.यू.जी. – 9454400307, दूरभाष- 05414-250236, ई-मेंल- spsrn-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद भदोही

दिनांक- 31.12.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में पूरे प्रदेश में जीएसटी फ्रॉड के सम्बन्ध मे लिखें मुकदमों के लिए विशेष SIT टीम बनाई गई है । उक्त निर्देशन के क्रम में औराई पुलिस व SOG/क्राइम ब्रांच टीम द्वारा अंतर्राज्यीय GST चोरी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह ने फर्जी फर्मों, 370 जाली चालान (invoices) और ई-वे बिल का उपयोग करके ₹96 करोड़ की GST ई-वे बिल जनरेट की गई । जिसमें ₹17 करोड़ से अधिक के राजस्व की चोरी की गई ।

औराई पुलिस व एसओजी/क्राइम ब्रांच को काफी समय से जीएसटी चोरी से जुड़े एक बड़े नेटवर्क की गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। तकनीकी निगरानी,दस्तावेजों की गहन जांच,जीएसटी विभाग से समन्वय,बैंकिंग और लेन-देन से जुड़े डेटा का विश्लेषण जैसे कई स्तरों पर जांच शुरू की गई। **श्री अभिमन्यु मांगलिक**, पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा जनपद भदोही में पंजीकृत अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सभी सम्बंधित को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उक्त आदेश के अनुपालन में **श्री शुभम अग्रवाल,** अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी औराई के नेतृत्व में थाना औराई पुलिस व एसओजी/क्राइम ब्रांच द्वारा आज दिनांक-31.12.2025 को मुखबिरी सूचना के आधार पर माधव सिंह रेलवे स्टेशन के पास से मु0अ0सं0 293/25 धारा 318(4), 319 (2), 340, 338, 336(3) BNS थाना औराई जनपद भदोही से संबंधित अंतर्राज्यीय GST चोरी नेटवर्क में लिप्त 02 वांछितों 1.मो० फैजान पुत्र अब्दुल निवासी ग्राम जोखनपुर थाना बहेड़ी जिला बरेली हाल पता- रीक्षा थाना देवरानिया जनपद बरेली तथा पुरी मौजपुर थाना गोकुलपुरी दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष 2.देवेन्द्र कुमार पुत्र राम लाल सिंह निवासी अजनारा थाना शिकारपुर जिला बुलंदशहर हाल पता D.1- गली-1 मुकुन्द विहार करावल नगर थाना करावल नगर दिल्ली उम्र करीब 45 वर्ष को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनमें फर्मों से जुड़े रजिस्ट्रेशन दस्तावेज,फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल,बैंक खातों से संबंधित कागजात, डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन और लैपटॉप,लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड शामिल हैं। इन सभी साक्ष्यों की फॉरेंसिक और तकनीकी जांच की जा रही है, ताकि पूरे नेटवर्क की परतें खोली जा सकें।

अपराध करने का तरीका:-

पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल करके एवं नकली दस्तावेज लगाकर फर्जी GST नंबर लेना और टैक्स क्रेडिट का गलत फायदा उठाना, बड़ी मात्रा में बिक्री छुपाकर टैक्स चोरी करते है। यह गिरोह बेहद शातिर और सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था। गिरोह के सदस्य अलग-अलग राज्यों और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में फर्मों का पंजीकरण कराते थे, फर्जी नाम, पते और दस्तावेजों का इस्तेमाल करते थे ,इन फर्मों के माध्यम से फर्जी इनवॉइस (बिल) और ई-वे बिल तैयार किए जाते थे। बिना किसी वास्तविक माल की खरीद-फरोख्त के कागजों में लेन-देन दिखाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का गलत लाभ उठाया जाता था। इसी प्रक्रिया के जरिए सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का

नुकसान पहुंचाया गया। जांच में सामने आया है कि इस गिरोह का नेटवर्क केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था, बल्कि कई अन्य राज्यों में भी इसकी जड़ें फैली हुई थीं। अलग-अलग राज्यों में रजिस्टर्ड फर्जी फर्मों के जरिए यह गिरोह जीएसटी सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी कर रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के अलावा भी कई अन्य लोग इस नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं, जिनकी तलाश जारी है।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया की मालिक हाजी इरफान मलिक निवासी शाहीनबाग नई दिल्ली व उनके पुत्र द्वारा फर्जी फर्म खोलने के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड देकर औराई एवं हजारीबाग (झारखण्ड) के लिए भेजा था कि जब तुम लोग औराई पहुंचोगे तो तुम लोगों को पता दिया जायेगा कि वहां पर तुम लोगों से कौन मिलेगा। इस काम को करने के बाद हजारी वाग (झारखण्ड) जाना था कि आप लोग हम दोनो को पकड़ लिए। जोगिंदर फॉर्म एवं अन्य फॉर्म के मोबाईल फोन एवं चेक बुक ATM कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आदि दस्तावेज, फर्जी खाता, चेक बुक ATM कार्ड प्राप्त कर लेता है। पीतल के गोदाम में जो माल सप्लाई करते हैं उनके तथा मेरे जैसे लोगों को खाताधारक बनकर ATM व खाता संख्या का उपयोग करते है एवं उन खातों से प्राप्त धन को बैंक से निकालकर हाजी एवं दानिश को दिया जाता है जिसमें से कुछ पैसा मुझे भी मेरे हिस्से के रूम में देते हैं। फर्म के कैंसिल होने पर हम लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए हाजी इरफान, दानिश कहने पर सिम बदल देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1.मो० फैजान पुत्र अब्दुल निवासी ग्राम जोखनपुर थाना बहेड़ी जिला बरेली हाल पता- रीक्षा थाना देवरानिया जनपद बरेली तथा पुरी मौजपुर थाना गोकुलपुरी दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष 2.देवेन्द्र कुमार पुत्र राम लाल सिंह निवासी अजनारा थाना शिकारपुर जिला बुलंदशहर हाल पता D.1- गली-1 मुकुन्द विहार करावल नगर थाना करावल नगर दिल्ली उम्र करीब 45 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता:-

1.हाजी इरफान मलिक निवासी शाहीनबाग नई दिल्ली।

2.दानिश पुत्र हाजी इरफान मलिक निवासी शाहीनबाग नई दिल्ली।

3. तनवीर पुत्र व पता अज्ञात

बरामदगी का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 07 अदद मोबाइल, 02 अदद लेपटाप, 01 अदद राउटर, 10 अदद चेक बुक, 02 अदद आधार कार्ड, 02 पैन कार्ड,10 अदद चेक बुक, 10 अदद ATM, 06 अदद बिलिंग जिल्द, 02 बण्डल रसीद एवं 1800 रु० नगद बरामद किया गया है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

टीम -1-

निरीक्षक अमित सिंह (विवेचना सेल),निरीक्षक श्याम बिहारी(विवेचना सेल),प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार थाना औराई मय हमराह का0 रंजीत सिंह व योगेंद्र चहल थाना औराई जनपद भदोही

टीम-2

उ0नि0 राजकुमार पाण्डेय प्रभारी स्वाट/सर्विलांस सेल ,हे0का0 राधेश्याम कुशवाहा
हे0का0 धीरेन्द्र श्रीवास्तव हे0का0 बृजेश सूर्यवंशी,हे0का0 नागेन्द्र यादव ,का0 गोपाल खरवार ,का0 नीरज यादव ,का0 राघवेन्द्र कुशवाहा ,का0 हिमांशु सिंह ,का0 प्रिंस भार्गव ,का0 सुनील कन्नौजिया
का0 सुनील पाल ,समस्त सर्विलांस/स्वाट टीम